

SOP FOR TRAINING CENTERS

- Each centre will send 2 minutes whatsapp video clip of ongoing training along with clearly visible date on that day's newspaper
- Each centre will provide cctv footage of full training conducted at their centre after completion of each batch training.
- No one can start any batch without submitting all documents & approval from NIELIT Patna centre.
- Demand Draft less than 2 months validity will not accepted.
- All DD should be in the name of "NIELIT PATNA CENTRE", PAYABLE AT PATNA.

Training fees are as follows:

Training	: Rs 5526.00 (including GST)
Conversion mode	: Rs 4512.00 (including GST)
Direct Mode	: Rs 1180.00 (including GST)
Re-Exam	: Rs 236.00 (including GST)

- No one is authorised to change the centre address without approval from NIELIT Patna.
- All Centres are authorised to provide training to only their registered district candidates.
- All centres are requested to update their mobile no & email id immediately.
- Maximum batch size should not be more than 20 under any circumstances.
- Forms are not accepted after last day of submission of forms.

केन्द्रों के लिये दिशानिर्देश

- प्रत्येक केंद्र प्रतिदिन के प्रशिक्षण का 2 मिनट का व्हाट्सएप्प वीडियो क्लिप, उस दिन के अखबार में स्पष्ट रूप से दिखाई जाने वाली तिथि के साथ भेजेंगे।
- प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक केंद्र अपने केंद्र में पूर्ण प्रशिक्षण का सीसीटीवी फुटेज प्रदान करेंगे।
- कोई भी केंद्र नाईलेट पटना केंद्र में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना और नाईलेट पटना केंद्र से स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी बैच शुरू नहीं कर सकता है।
- 2 महीने से कम वैधता के डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- सभी डीडी "NIELIT PATNA CENTRE", PAYABLE AT PATNA के नाम पर होना चाहिए।

प्रशिक्षण शुल्क इस प्रकार हैं:

प्रशिक्षण	:	5526.00 रुपये (जीएसटी सहित)
रूपांतरण मोड	:	4512.00 रुपये (जीएसटी सहित)
डायरेक्ट मोड	:	1180.00 रुपये (जीएसटी सहित)
पुनः परीक्षा	:	236.00 रुपये (जीएसटी सहित)

- नाईलेट पटना के स्वीकृती के बिना कोई भी केंद्र अपने पते को बदलने के लिए अधिकृत नहीं है।
- सभी केंद्र केवल अपने पंजीकृत जिले के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ही प्राधिकृत हैं।
- सभी केंद्रों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को तुरंत सूचित करें।
- अधिकतम बैच आकार किसी भी परिस्थिति में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- फॉर्म जमा करने के आखिरी तिथि के एक दिन के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते